

पत्रांक

आयु०क०उत्तरा०/वैट—अनुभाग/वाणिज्य कर/देहरादून/2008—09

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(वैट—अनुभाग)

दिनांक :: देहरादून २४ जुलाई '08

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर

समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर

समस्त वाणिज्य कर अधिकारी

मुख्यालय के पत्रांक 3341/आयु०क०उत्तरा०/वाणि०क०/ वैट—अनुभाग / 2007—08/देहरादून दिनांक 04—01—2008 एवं पत्रांक 950/3341/आयु०क०उत्तरा०/वाणि०क०/ वैट—अनुभाग / 2008—09/ देहरादून दिनांक 19—06—2008 द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों के क्षेत्राधिकार हेतु मौद्रिक सीमा निर्धारित की गई थी। इस सन्दर्भ में निम्न दो बिन्दुओं पर मार्गदर्शन मांगा गया है।

1— उक्त परिपत्रों द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा केवल वैट के वादों के लिए निर्धारित है अथवा व्यापार कर के वादों के लिए भी है ?

2— यदि उक्त परिपत्र व्यापार कर एवं वैट दोनों के वादों के लिए लागू है तो वर्ष 2005—06 के व्यापार कर एवं वैट के 6—6 माह के वादों के लिए क्षेत्राधिकार तय करने के लिए दोनों वादों के सकल विक्रय धन को जोड़कर मौद्रिक सीमा का निर्णय लेना होगा अथवा अलग—अलग (आधे वर्ष की अवधि होने के कारण अनुपातिक दृष्टि से, घोषित सकल विक्रय धन को दोगुना करके) निर्णय लेना होगा ?

उक्त बिन्दुओं पर स्थिति को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जाता है :-

बिन्दु—1

उक्त परिपत्र में मौद्रिक सीमा केवल वैट अधिनियम के अन्तर्गत लम्बित वादों में लागू होगी। उत्तराखण्ड (उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के अधीन लम्बित कर निर्धारण वादों के मामलें में वाणिज्य कर अधिकारी के लिए करयोग्य सीमा 3 लाख यथावत रहेगी।

बिन्दु—2

कर—निर्धारण वर्ष 2005—06 में प्रथम छमाही के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड (उ०प्र० व्यापार कर अधिनियम 1948) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 अथवा मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के 2005—06 के लम्बित वादों में क्षेत्राधिकार तय करने के उद्देश्य से अनुपातिक दृष्टिकोण से निर्धारित टर्नओवर के सापेक्ष निर्णय लेना होगा।

(एल०एम० पन्त)

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

-2-

145

पृष्ठों से १०० दिनांक :: उक्त ::

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1— प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2— महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्ड्रा नगर देहरादून।
- 3— अध्यक्ष / सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, देहरादून / हल्द्वानी।
- 4— एडिशनल कमिशनर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून / कुमाऊँ जोन रुद्रपुर।
- 5— एडिशनल कमिशनर (आडिट) / (प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
- 6— समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशन / उद्योग व व्यापार संगठन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 7— ज्वाइन्ट कमिशनर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी।
- 8— ज्वाइन्ट कमिशनर (वि०अनु०शा० / प्र०) वाणिज्य कर हरिद्वार / रुद्रपुर।
- 9— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० सन्विवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।
- 10— पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल जी०ओ०य० परियोजना कार्यालय, आई०आई०टी० रुडकी।
- 11— संख्या अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई—मेल द्वारा प्रेषित कर दें।
- 12— नेशनल लॉ हाउस बी—२ मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेडकर रोड, गाजियाबाद।
- 13— नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस—१५ / ५ राजनगर गाजियाबाद।
- 14— लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेकट्रेट कम्पाउण्ड राजनगर गाजियाबाद।
- 15— कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
- 16— विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

आयुक्त कर, 26/7/2008

उत्तराखण्ड, देहरादून।